

an>

Title: Presentation of the 46th, 47th, 48th, 49th, 50th and 51st Action Taken Reports and 52nd Reports of the Standing Committee on Labour.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदया, श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित 'औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तथा कौशल विकास पहल योजना' के बारे में समिति के 33 वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

गृह मंत्रालय से संबंधित 'एनडीएमसी में स्थायी प्रकृति के कार्यों हेतु अनुबंध/नैमित्तिक/स्वच्छता कर्मियों की तैनाती' के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

विदेश मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित ‘महिला कर्मियों, जिसमें उपचारिकाएं और सेविकाएं शामिल हैं, की विदेशों में नियुक्ति, मुद्दे तथा विनियामक ढांचा’ के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित ‘नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती और जमा तथा स्रोत पर कर कटौती (आयकर, आदि) के विहित प्रावधानों का अनुपालन’ संबंधी 52वां प्रतिवेदन ।

---